**कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश**

उपस्थितः– श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री भारत पाइप एण्ड सेनेटरी स्टोर्स, अपो0हाइडिल इले0सबस्टेशन, जी0टी0रोड, गाजियाबाद ।**

प्रा0प0सं0– **400/2008**

प्रार्थी की ओर से– **श्री पी0पी0सिंह, अधिवक्ता ।**

**उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अन्तर्गतनिर्णय**

I– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 3–11–2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसमें **जी0आई पाइप तथा फिटिंग्स** पर दिनांक 30–9–08 के पश्चात करदेयता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है।

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–I वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद से पत्र संख्या–1456 दिनांक 10–II–2008 से आख्या मांगी गयी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री पी0पी0सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुयें व उक्त की जानकारी देने का अनुरोध किया ।

4– मैनें व्यापारी के धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया और पाया गया कि दिनांक 29–9–08 के पूर्व उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2–क के क्रमांक 94 के अन्तर्गत पाइप के सम्बन्ध में निम्न प्रविष्टि थी :–

| | |
|---|---|
| 94 | Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes, PVC etc. and fittings. |

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–2758/ग्यारह–9(9)/08–उ0प्र0अधि–क–2008–आदेश(29)2008दिनांक 29–9–2008द्वारा अनुसुची–2–क के क्रमांक 94 को विलोपित कर दिया गया है तथा पुनः शासन की विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–102/ग्यारह–9(I)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (36)–2009 दिनांक 15–I–09 द्वारा पुनः वैट अधिनियम की अनुसुची–2–क के क्रमांक–94 की प्रविष्टि को प्रतिस्थापित कर दिया गया । इस प्रकार दिनांक 29–9–08 से 15–01–09 के मध्य जी0आई पाइप तथा फिटिंग्स किसी भी अनुसुची 1, 2, 3, 4 में न होने के कारण अनुसुची–5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत होने के कारण 12.5प्रतिशत की दर से कर देयता होगी।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

ह0/10–2–09

दिनांक ::10 फरवरी, 2009

**( अनिल संत )**
**कमिश्नर वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**